अध्याय-III

जिला खनिज संस्थान न्यास से कार्यों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन

3.1 परियोजना नियोजन एवं संस्थागत व्यवस्था

न्यास को खनन या खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए उस प्रकार से कार्य करना चाहिए जैसा कि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निर्दिष्ट है। न्यास की शासी परिषद न्यास के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने और उसे अनुमोदित करने तथा न्यास के कामकाज की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान न्यासों के कामकाज में योजना और संस्थागत ढ़ांचे/व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.1.1 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के साथ जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों की गैर-अनुरूपता

भारत सरकार, खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में एक जिला खनिज संस्थान अधिसूचित और स्थापित करने तथा राज्य सरकारों द्वारा जिला खनिज संस्थान के लिए बनाए गए नियमों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों को शामिल करने और योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।

खनन संबंधी गतिविधियां मुख्य रूप से देश के कम विकसित और बहुत दूरदराज के क्षेत्रों और आबादी के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करती हैं। इसलिए, यह विशेष रूप से आवश्यक है कि संगठित और संरचित तरीके से विशेष देखभाल और ध्यान दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन क्षेत्रों और प्रभावित व्यक्तियों को उनके क्षेत्रों में मौजूद खनिज संपदा से लाभ मिले और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सशक्त हों।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने तदनुसार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तैयार किया है, जिसे जिला खनिज संस्थान द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उन्हें प्राप्त होने वाली निधियों से लागू किया जाएगा।

जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 के बीच की उन विसंगतियों पर नीचे चर्चा की गई है, जिनके कारण खनन से प्रभावित समुदायों को लाभ पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हुई:

(क) 'प्रभावित व्यक्तियों' की पहचान और प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की सूची का संधारण नहीं करना

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशानिर्देशों (सितंबर 2015) के अनुसार, प्रभावित लोगों में 'प्रभावित परिवार' और 'विस्थापित परिवार' शामिल होने चाहिए, जैसा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 3(सी) और 3(के) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित रूप से पहचाने गए कोई अन्य व्यक्ति, जिनमें खनन की जा रही भूमि पर कानूनी और व्यावसायिक अधिकार रखने वाले लोग और उपयोग का अधिकार और पारंपरिक अधिकार रखने वाले लोग शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 को तैयार करते समय, 'प्रभावित व्यक्तियों' की परिभाषा को संशोधित और विस्तारित किया गया था ताकि इसमें प्रभावित और विस्थापित परिवारों, जिनकी भूमि प्रभावित क्षेत्र से अधिग्रहित/स्थानांतरित कर दी गई है या जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुआ है, के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में रहने या काम करने वाले सभी लोगों को भी शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में किसी खदान या खदानों के समूह में ऐसी परिधि के भीतर का क्षेत्र शामिल है, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, भले ही यह संबंधित जिले या पड़ोसी जिले के अंतर्गत आता हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने प्रभावित क्षेत्रों के भीतर आस-पास के जिलों को घोषित करने के लिए कोई परिधि निर्दिष्ट नहीं की थी।

परिणामस्वरूप, इस व्यापक परिभाषा ने बिना किसी विशिष्ट सीमा के सभी जिलों के सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों को शामिल कर लिया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला खनिज संस्थान ने प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की पहचान और सूची तैयार नहीं की। प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की पहचान न होने से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन भी बाधित होता है, जो वांछित परिणामों और प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को रोकती है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि न्यासों द्वारा 12 चयनित जिलों में विभिन्न हितग्राही-उन्मुख योजनाओं/कार्यों के लिए ₹709.47 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। इन कार्यों में किसानों को शेड-नेट, कृषि उपकरण और औजारों का मुफ्त वितरण, निजी ट्यूबवेल की खुदाई, मछली पकड़ने के जाल का मुफ्त वितरण और छात्रों को कोचिंग व ट्यूशन शुल्क का वितरण आदि शामिल थे। यह आवंटन एक बड़े समुदाय के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में परिकल्पित 'प्रभावित व्यक्तियों' की पहचान किए बिना किया गया, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और जिला खनिज संस्थान न्यास के उद्देश्य को विफल करती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने दंतेवाड़ा जिले में खानों के समूह के नजदीक अवस्थित होने के कारण सुकमा जिले को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। हालांकि, जून 2025 तक कलेक्टर द्वारा सुकमा जिले के भीतर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों की सूची घोषित नहीं की गई थी। बिलासपुर और सुकमा के कलेक्टर ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि इन दोनों जिलों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति/परिवार' नहीं हैं। हालांकि, इन दोनों जिलों में न्यासों ने ग्रामीणों के बीच वस्तुओं की खरीद और मुफ्त वितरण के लिए ₹106.94 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों को आवंटित किए।

लेखापरीक्षा ने छह जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास निधियों से स्वीकृत ₹28.11 करोड़ की मुफ्त वितरण गतिविधियों के 30 मामलों की जांच की **(परिशिष्ट 3.1)** और पाया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच मुफ्त वितरण, खनन क्षेत्रों में खनन से प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2015 के उद्देश्यों के अनुरूप, लाभार्थियों के चयन मानदंड निर्धारित किए बिना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यादृच्छिक रूप से किया गया था।

'प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों' की पहचान न करना और न्यास निधि से हितग्राही-उन्मुख गतिविधियाँ चलाना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को दीर्घकालिक स्थायी आजीविका के लक्ष्य को प्राप्त करने और खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी बाधा डालता है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया कि विभाग द्वारा मौजूदा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 के अनुसार और लेखापरीक्षा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है, जिसे अधिसूचना के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

यद्यपि राज्य शासन ने 'प्रभावित व्यक्तियों' के दायरे में 'प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले या काम करने वाले लोगों' को हटाते हुए संशोधनों (12 सितंबर 2025) को अधिसूचित कर दिया, हालाँकि, जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा उनकी पहचान के बाद प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है।

(ख) राज्य विधानसभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2015 के अनुच्छेद 7 के अनुसार, प्रत्येक जिला खनिज संस्थान न्यास की वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने 2015 में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम बनाते समय इस प्रावधान को छोड़ दिया था।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह बताया गया कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 के अनुसार और लेखापरीक्षा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो अधिसूचना के लिए अपेक्षित है।

चूंकि राज्य शासन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के नियमों में संशोधन किया है, इसलिए जिला खनिज संस्थान न्यास को बिना किसी देरी के वार्षिक प्रतिवेदन अपनी स्थापना के समय से ही राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

3.1.2 व्यापक/ मास्टर प्लान और दूरदर्शिता के अभाव के परिणामस्वरूप संसाधनों का असमान आवंटन

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 (3) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, खनन या खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास प्रबंधकारिणी

समिति द्वारा तैयार और शाषी परिषद द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार न्यास निधि से किया जाएगा। प्रबंधकारिणी समिति सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार न्यास की गतिविधियों के लिए पंचवर्षीय मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार करेगी और इसे शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 (4) से (7) के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति कार्यान्वयन एजेंसियों, जैसे कि ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों और जिले के शहरी स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग और बोर्ड, निगम, राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त करेगी, उन्हें समेकित करेगी और वार्षिक योजना तैयार करेगी। इसके बाद, परियोजनाओं को स्वीकृति आदेश प्रदान करें, धनराशि जारी करें और इस उद्देश्य के लिए न्यास निधि का वितरण करें।

शामिल नहीं किये गए सीधे प्रभावित ग्रामों का प्रतिशत

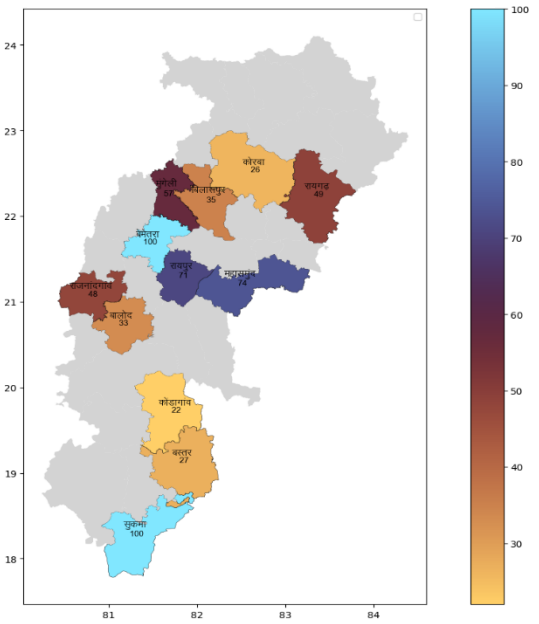

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 12 चयनित जिलों में, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत और न्यासों की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों ने इन क्षेत्रों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान नहीं किया और प्रभावित आबादी के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में विफल रहे।

इसके अलावा, न्यासों ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू करने के लिए सर्वेक्षण करने के बाद प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार मास्टर प्लान/विजन दस्तावेज तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप, मार्च 2024 तक कुल निधि का ₹ 4,536.58 करोड़ (81 प्रतिशत) इस्तेमाल करने के बावजूद, न्यास 11 चयनित जिलों में 980 (56 प्रतिशत) प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों को ही कवर कर पाए, जबकि 754 (44 प्रतिशत) प्रत्यक्ष प्रभावित गांव ऐसे रह गए जिनमें जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से कोई गतिविधि लागू नहीं की गई। सुकमा जिले में, न्यास ने प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों की पहचान किए बिना निधि का ₹ 333.61 करोड़ (64 प्रतिशत) इस्तेमाल किया, जैसा कि **तालिका 3.1** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.1: न्यास वार कवर नहीं किए गए 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्राम'

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों की संख्या	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कवर की गई गांवों की संख्या	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कवर नहीं की गई गांवों की संख्या (प्रतिशत)	कुल उपलब्ध न्यास निधि	उपयोग किए गए न्यास निधि (प्रतिशत)
1.	बालोद	318	213	105 (33)	439.73	388.36 (88)
2.	बस्तर	168	123	45 (27)	859.23	700.72 (82)
3.	बेमेतरा	12	0	12 (100)	109.55	44.19 (40)
4.	बिलासपुर	139	91	48 (35)	653.92	362.73 (55)
5.	कोंडागांव	09	07	02 (22)	245.40	176.80 (72)
6.	कोरबा	334	248	86 (26)	2203.93	2009.17 (91)
7.	महासमुंद	202	53	149 (74)	119.58	95.84 (80)
8.	मुंगेली	238	103	135 (57)	121.69	105.48 (87)
9.	रायगढ़	83	42	41 (49)	461.61	360.03 (78)
10.	रायपुर	131	38	93 (71)	192.88	145.57 (75)
11.	राजनंदगांव	100	62	38 (38)	224.02	147.69 (66)
कुल		**1734**	**980**	**754 (44)**	**5631.54**	**4536.58 (81)**
12.	सुकमा	अभी तक पहचान नहीं किया गया			518.88	333.61 (64)
	सकल योग	**1734**	**980**	**754 (44)**	**6150.42**	**4870.19 (79)**

(स्रोत: न्यासों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ो से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इस प्रकार, न्यास वर्ष 2015-24 के दौरान जिला खनिज संस्थान न्यास निधियों के महत्वपूर्ण उपयोग (₹ 4870.19 करोड़) के बावजूद जांच किए गए 12 जिलों में सभी प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों को संसाधनों और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने में विफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, इस बात पर सहमति हुई कि भविष्य में पांच साल की योजना तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

न्यास को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वेक्षणों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक/मास्टर प्लान और विजन दस्तावेज तैयार किया जाए, जिससे संसाधनों के समान वितरण के लिए सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

खनन क्षेत्र के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्र, जिन पर न्यासों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था, को **चित्र 3.1 से 3.6** में दर्शाया गया है।

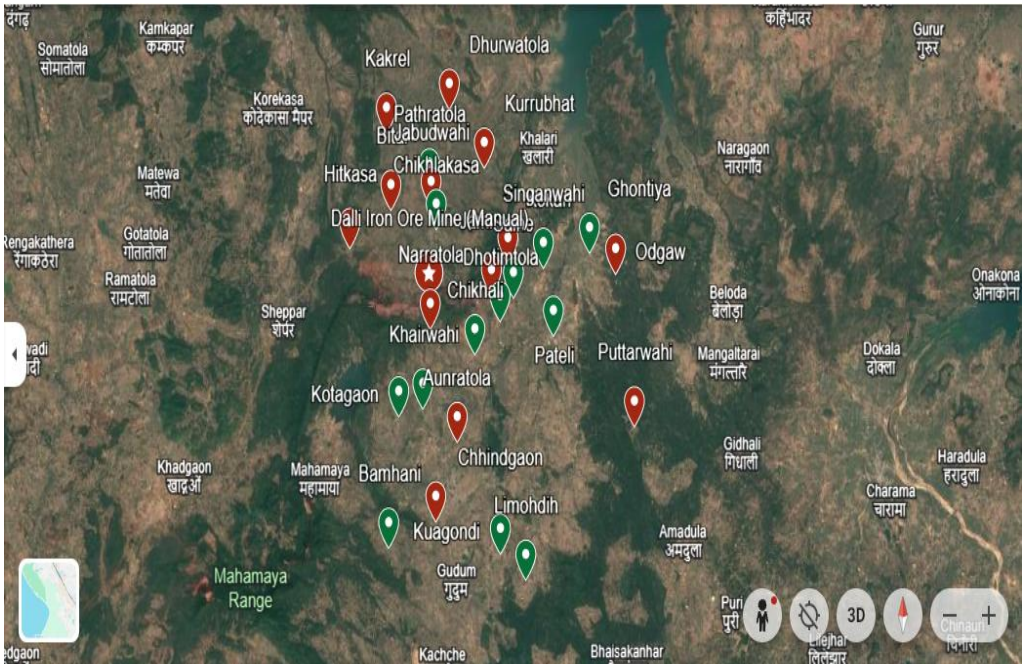

चित्र 3.1: बालोद जिले के डोंडी जनपद में 13 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्रामों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो दल्ली लौह अयस्क खानों (नीले रंग में प्रतिबिंबित) के 15 किलोमीटर के दायरे में थे जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और 13 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

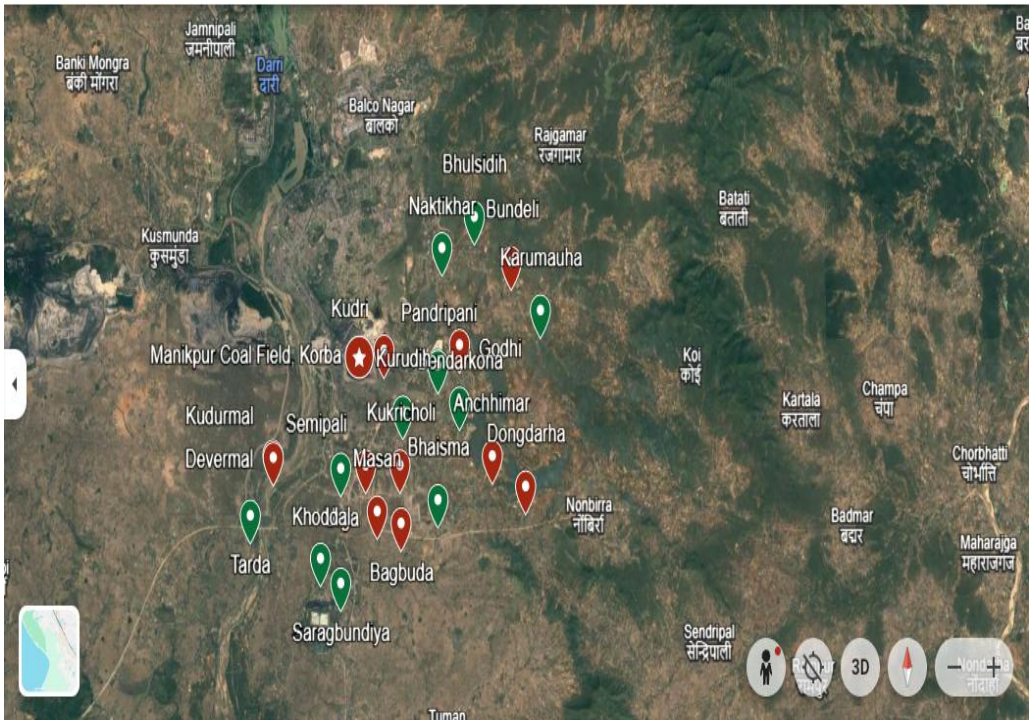

चित्र 3.2: कोरबा जिले के कोरबा और करतला जनपदों में 10 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो एसईसीएल माणिकपुर कोयला क्षेत्र की खानों (नीले रंग में प्रतिबिंबित) के 10 किलोमीटर के दायरे में थे, जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और 11 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

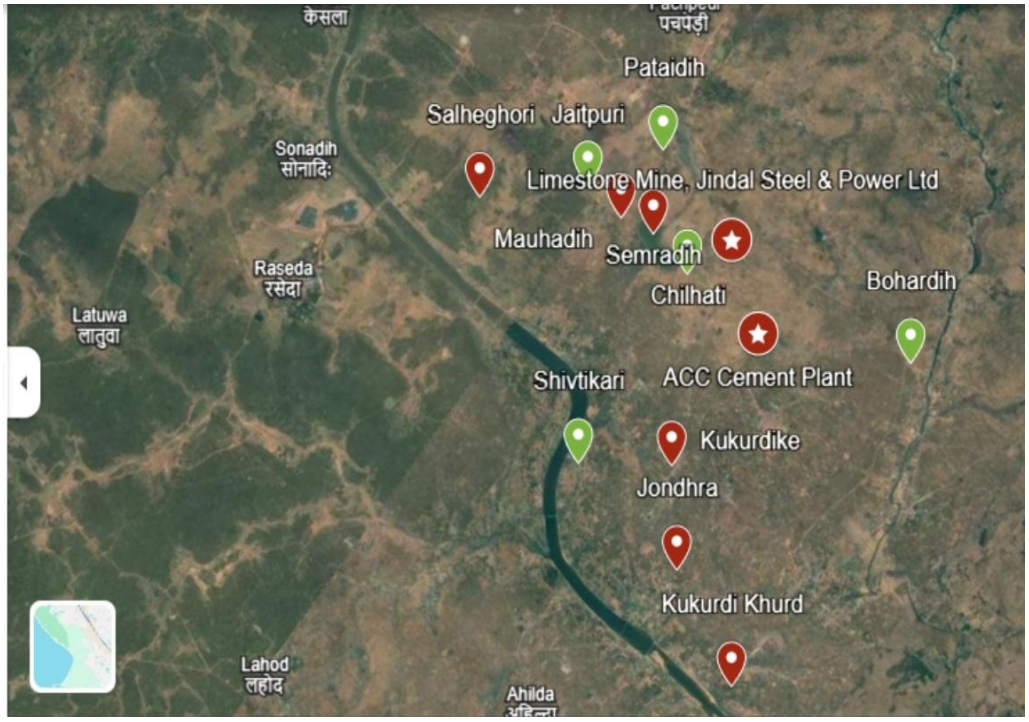

चित्र 3.3: बिलासपुर जिले में छह प्रत्यक्ष रूप प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो एसीसी, लफ़ार्ज और जिंदल खदानों (स्टार मार्क में प्रतिबिंबित) के 10 किलोमीटर के दायरे में थे, जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और पांच प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

चित्र 3.4: रायपुर जिले के पांच प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो अल्ट्राटेक खानों (स्टार मार्क में प्रतिबिंबित) के 10 किमी के दायरे में थे, जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और चार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

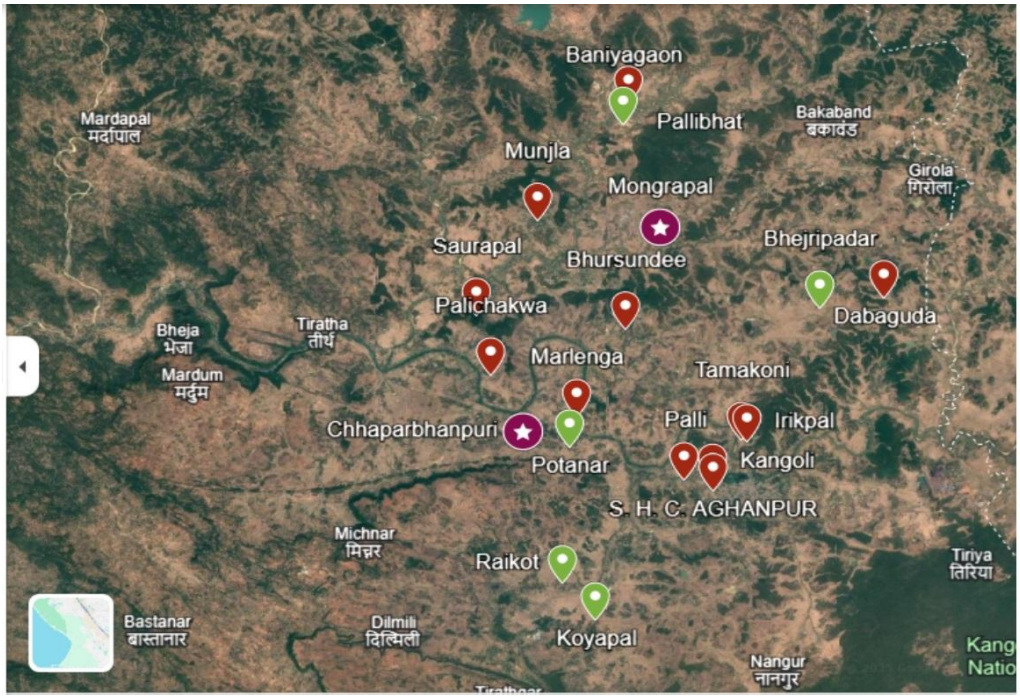

चित्र 3.5: बस्तर जिले के 12 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो छपर भोजपुरी और मोग्राफिक खदानों (स्टार मार्क में प्रतिबिंबित) के 20 किलोमीटर के दायरे में थे जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और पांच प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किए गए हैं।

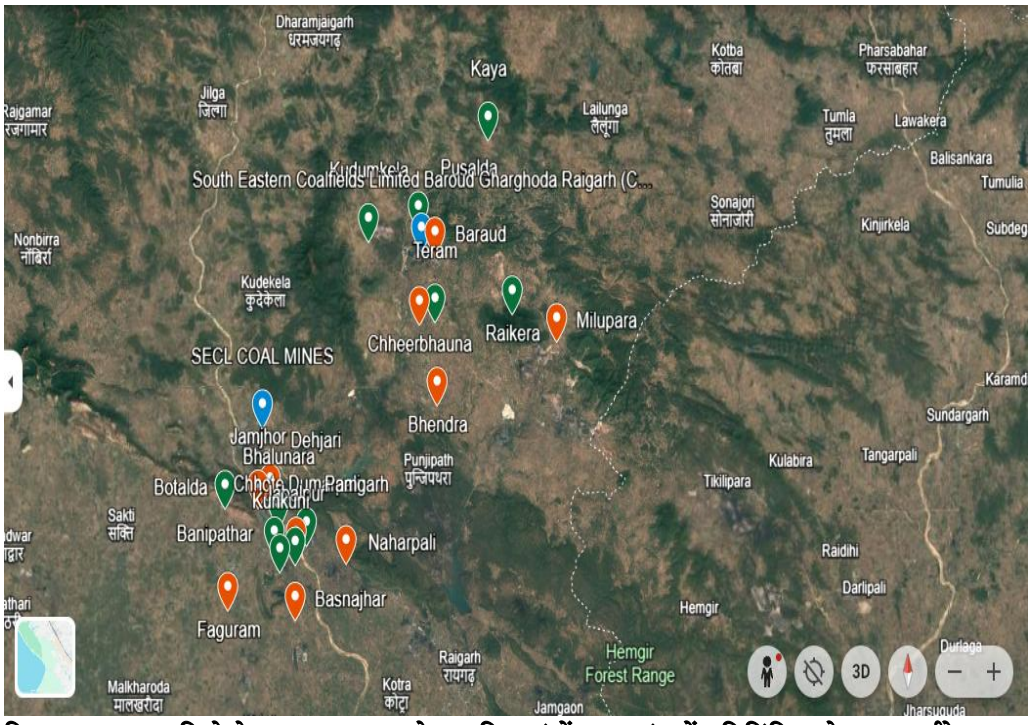

चित्र 3.6: रायगढ़ जिले के 10 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांवों (लाल रंग में प्रतिबिंबित) के नाम दर्शाने वाला भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र, जो एसईसीएल छल और बरौद कोयला खदानों (नीले रंग में प्रतिबिंबित) के 20 किलोमीटर के दायरे में थे जो न्यास द्वारा कवर नहीं किये गये और 11 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव (हरे रंग में प्रतिबिंबित) जो कवर किये गये हैं।

3.1.3 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची को अधिसूचित करने में देरी

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2 (1)(ब) में 'प्रभावित क्षेत्र/ व्यक्ति' को इस तरह परिभाषित किया गया है: जिले के भीतर किसी खदान या खदानों के समूह से खनन या खनन से जुड़े संचालन से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किया गया हो, और जिले के बाहर किसी खदान या खदानों के समूह से खनन या खनन से जुड़े संचालन से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने दिसंबर 2015 में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों को अधिसूचित किया और जनवरी 2016 में 27 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया। हालाँकि, 11 चयनित जिलों में, जिला कलेक्टरों को न्यासों की स्थापना के बाद जिले के भीतर 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची की पहचान करने और घोषित करने में पांच से 65 महीने का समय लगा। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कलेक्टर द्वारा घोषित प्रभावित क्षेत्र की सूची को जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के तहत निर्धारित छत्तीसगढ़ गजट में अधिसूचित नहीं किया गया था। इस बीच, न्यासों ने 'प्रभावित क्षेत्रों' की पहचान करने से पहले हीं **तालिका 3.2** में वर्णित विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए ₹ 1060.70 करोड़ की राशि आवंटित कर दी थी।

तालिका 3.2 : प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र की घोषणा में देरी और अधिसूचना से पहले निधि का आवंटन

(₹ करोड़ मे)

क्र.सं.	जिला खनिज संस्थान न्यास	वह महीना जिसमें 'प्रभावित क्षेत्र' की सूची जारी की गई	न्यास के गठन के बाद आदेश जारी करने में लगा समय (महीनों में)	'प्रभावित क्षेत्र' की पहचान से पहले आवंटित राशि
1	बालोद	जून-2016	5	4.77
2	बस्तर	मई-2019	40	193.95
3	बेमेतरा	अगस्त-2018	32	6.50
4	बिलासपुर	जुलाई-2017	19	93.51
5	कोंडागांव	मई-2021	65	68.84
6	कोरबा	जुलाई-2016	7	18.43
7	महासमुंद	जनवरी-2021	61	32.05
8	मुंगेली	जुलाई-2018	31	7.28
9	रायपुर	जनवरी-2019	36	88.85
10	राजनंदगांव	दिसम्बर-2019	46	98.77
11	सुकमा	अभी तक अधिसूचित नहीं है।	99	447.75
कुल				**1060.70**

सुकमा जिले में, जनवरी 2025 तक कलेक्टर ने जिले के भीतर 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची की पहचान और घोषणा नहीं की थी।

इसी प्रकार, बालोद जिले में कलेक्टर ने केवल जिले के भीतर 'प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र' की सूची की पहचान और घोषणा की (जून 2016) और 'अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र' की घोषणा (नवंबर 2024) नहीं की है। हालांकि, न्यास ने वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष 'प्रभावित क्षेत्रों' के अलावा अन्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के लिए ₹ 84.86 करोड़ (979 कार्यों के लिए) की राशि आवंटित की है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा कि 'प्रभावित क्षेत्रों' को अलग से घोषित करने से पहले संबंधित जिलों द्वारा कार्यों को मंजूरी दी गई थी ताकि न्यास के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और 'प्रभावित क्षेत्रों' के लोगों को तत्काल लाभ मिल सके। यह भी कहा गया कि जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 6 (1)(जी) के अनुसार न्यासों द्वारा 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची रखी गई है क्योंकि राजपत्र में प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पारदर्शिता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के अनुसार जिले के भीतर 'प्रभावित क्षेत्रों' की सूची कलेक्टर द्वारा अधिसूचित की जानी आवश्यक है।

3.1.4 कार्यों को निरस्त करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित किये गए 12 जिलों के न्यासों ने वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि के लिए संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ को 2,780 कार्यों/गतिविधियों को निरस्त किए जाने की सूचना दी, हालाँकि, न्यासों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, 35,754 कार्यों में से 1,749 (4.89 प्रतिशत) कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद निरस्त किए गए थे। कोरबा (752 कार्य) और रायगढ़ (276 कार्य) में रद्द किए गए कार्यों की संख्या सबसे अधिक थी और ये कुल निरस्त कार्यों का 59 प्रतिशत था । निधियों के आवंटन के बाद कार्यों को निरस्त करना, उनकी स्वीकृति से पहले उचित जांच और पर्याप्त योजना के अभाव को दर्शाता है। न्यासों द्वारा दिए गए उत्तरों के अनुसार, कार्यों को निरस्त करने के कारण, किसी अन्य योजना में उसी कार्य की स्वीकृति, कार्य को पूरा करने में व्यावहारिक समस्याएँ और कठिनाइयाँ, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य शुरू करने में विफलता या देरी आदि थे।

यह न्यासों द्वारा स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की कमी को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने निरस्त किए गए कार्यों के लिए जारी की गई राशि की वापसी की न्यास-वार स्थिति प्रस्तुत की, जिससे पता चलता है कि न्यास अप्रयुक्त राशि की वसूली के लिए प्रयास कर रहे हैं, छह[1] जिलों में कार्यान्वयन एजेंसियों ने न्यास निधि खाते में ₹ 89.09 करोड़ की राशि वापस कर दी है।

[1] बस्तर, बेमेतरा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़ एवं रायपुर

न्यासों को कार्यान्वयन एजेंसियों के पास मौजूद निरस्त किए गए कार्यों की शेष राशि के साथ-साथ निधियों पर अर्जित ब्याज की वसूली के लिए प्रयास करने चाहिए।

3.2 परियोजना कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को संबंधित जिलों के न्यासों द्वारा जिला खनिज संस्थान में जमा होने वाली निधियों का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 का नियम 29 यह निर्धारित करता है कि न्यासों को कार्यों/वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। न्यास द्वारा किए जाने वाले कार्यों को केवल सरकारी विभागों, अभिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से ही निष्पादित किए जाने चाहिए जो सामान्यतः ऐसे कार्य करते हैं और जिन्हें अनुबंधों को निष्पादित करने या प्रदान करने के दौरान संगठन पर लागू प्रासंगिक मानदंडों का पालन करना चाहिए। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति और पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित विभाग पर लागू प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। न्यास को सभी एजेंसियों और लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में धनराशि अंतरित करनी चाहिए।

तदनुसार, न्यासों ने अपने द्वारा स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को नियुक्त किया। कार्यान्वयन एजेंसियां प्रबंधकारिणी समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थीं।

12 चयनित जिलों के न्यासों ने जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों[2] से प्राप्त प्रस्तावों और समय-समय पर शासी परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान 35,754 कार्यों/गतिविधियों के निष्पादन के लिए ₹ 6,735.54 करोड़ की मंजूरी दी है। वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान सभी 12 चयनित जिलों के न्यासों द्वारा स्वीकृत कार्य/गतिविधियां एवं उनकी स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 3.2** और **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

[2] ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें, जिला पंचायतें और जिले में शहरी स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग एवं बोर्ड, निगम और राज्य / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि।

चार्ट 3.1: नमूना लिए गए 12 न्यासों में स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों की स्थिति

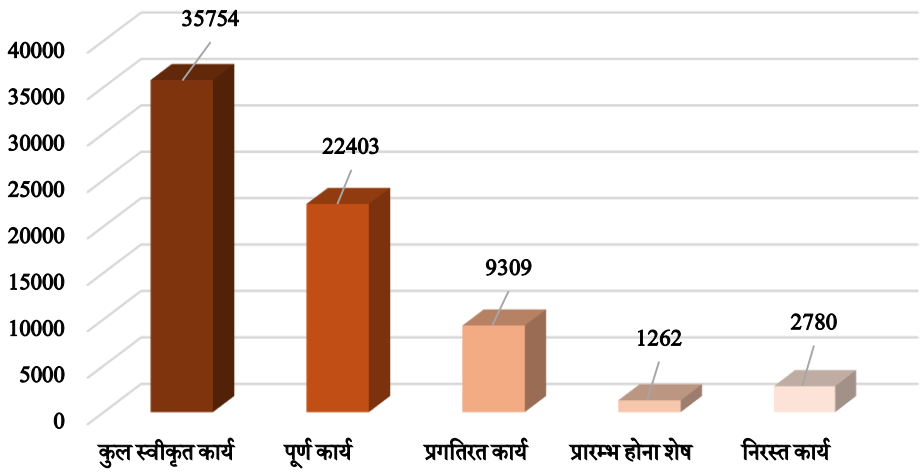

कुल स्वीकृत 35,754 कार्यों में से, मार्च 2024 तक 22,403 कार्य/गतिविधियाँ पूर्ण हो चुकी थीं, 9,309 कार्य प्रगतिरत थे, 1,262 कार्य अभी शुरू होने बाकी थे और 2,780 कार्य निरस्त कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा के दौरान परियोजना कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.2.1 अपूर्ण कार्यों और अप्रयुक्त परिसंपत्तियों पर निधि का अवरुद्ध रहना

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में अपूर्ण कार्यों/गतिविधियों और/या जिला खनिज संस्थान न्यास निधियों से निर्मित संपत्तियों के उपयोग में न लाए जाने के कारण निधियों के अवरुद्ध/निष्फल व्यय के उदाहरण पाए गए, जैसा कि **परिशिष्ट-3.3** में विस्तृत रूप से और नीचे दिए गए उदाहरणों में दर्शाया गया है:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान चार जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, बिलासपुर, कोंडागांव और सुकमा द्वारा स्वीकृत छह कार्यों को निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद भी पूरा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन अपूर्ण कार्यों पर ₹ 29.25 करोड़ अवरुद्ध हुई। कोरबा में अपूर्ण मल्टीलेवल पार्किंग की तस्वीरें **चित्र 3.7** में दिखाई गई है।

चित्र 3.7: कोरबा में अपूर्ण मल्टीलेवल पार्किंग की तस्वीरें

- बस्तर, सुकमा और कोरबा में ₹ 1.14 करोड़ के न्यास निधि से स्थापित तीन बायो गैस संयंत्र, गोबर की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था न होने और तकनीकी कमियों के कारण चालू नहीं किये जा सके और अगस्त 2025 तक परिचालन में नहीं रहे। इसी प्रकार, कोरबा में ₹ 3.01 करोड़ के जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से निर्मित एक कला और संस्कृति केंद्र का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मई 2025 तक केंद्र की अभिरक्षा जिला खनिज संस्थान न्यास के पास था।

- संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा नें सात मामलों में यह पाया गया कि ₹ 8.40 करोड़ रुपये के न्यास निधि से निर्मित संपत्तियों का उपयोग नहीं किया गया, वे क्षतिग्रस्त हो गई थीं या निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थीं। जनपद पंचायत, डोंडी में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्थापित मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन केंद्रों की तस्वीरें **चित्र 3.8** में दी गई हैं, जो संयुक्त भौतिक निरीक्षण (4 अप्रैल 2024) में देखे जाने के अनुसार अप्रयुक्त पड़े हैं।

चित्र 3.8: जनपद पंचायत, डोंडी में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्थापित मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन केंद्रों की तस्वीरें

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि न्यास की जिम्मेदारी कार्य की मंजूरी देना और एजेंसी का चयन करना है। कार्य पूर्ण होने के बाद, कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और विभागीय मानकों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्य एजेंसी की है क्योंकि वे विभागीय नियमों और मानकों में कुशल हैं और पर्याप्त ज्ञान रखते हैं। इसलिए, किसी भी कार्य की मंजूरी के बाद, पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की है। हालांकि, इसकी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

उत्तर न्यास और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और राशि जारी करने के बाद न्यास द्वारा अपर्याप्त निगरानी का संकेत देता है, जो स्वीकृत कार्यों/गतिविधियों के समय पर निष्पादन और इच्छित उद्देश्य के लिए परिसंपत्तियों के उपयोग को प्रभावित करता है।

3.2.2 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से बाहर के कार्यों/गतिविधियों पर न्यास निधि का उपयोग

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 22 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि न्यास के पास उपलब्ध निधियों का उपयोग खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए।

प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (व्यवस्थापक) ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2016 और अप्रैल 2019) कि न्यास निधि का उपयोग नियम 22 के उप नियम (2) और (3) के तहत निर्दिष्ट उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए, जो केवल निर्दिष्ट कार्यों के लिए न्यास निधि के उपयोग का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 चयनित जिलों में, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से परे 80 विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 30.73 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत अस्वीकार्य थी। यह व्यय सरकारी विभागों के सौंदर्यीकरण या प्रशासन संबंधी कार्यों/गतिविधियों पर किया गया था, जैसे स्वागत द्वारों का निर्माण, कलेक्ट्रेट परिसर में उद्यान, सरकारी कार्यालय भवनों का नवीनीकरण/निर्माण, कार्यालय सामग्रियों का क्रय, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, जिला प्रशासन के सोशल मीडिया नेटवर्क का प्रचार आदि, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विस्तार से बताया गया है।

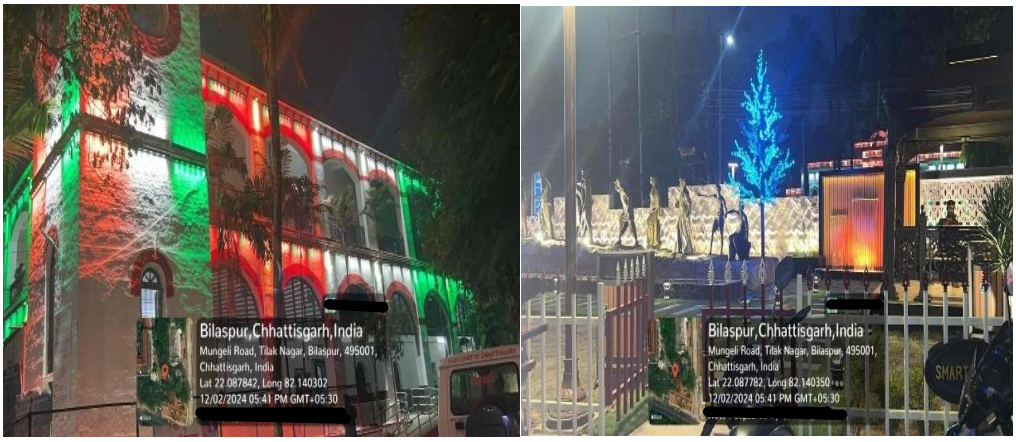

चित्र 3.9: कलेक्ट्रेट कार्यालय बिलासपुर में उद्यान और फसाड लाइटिंग सौंदर्यीकरण कार्य

ये कार्य/गतिविधियां खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए नहीं थीं और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के तहत निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से परे थीं।

3.2.3 'पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों' के लिए आवंटित न्यास निधि का अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, 'पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों' के तहत जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जल निकायों के लिए प्रदूषण की रोकथाम, खनन से वायु और धूल नियंत्रण, खान जल निकासी

प्रणाली, प्रदूषण रोकथाम प्रौद्योगिकियां और सक्रिय/बंद खानों के लिए सतत खनन सुनिश्चित करने के उपाय शामिल होने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोरबा जिले में न्यास ने ₹ 5.77 करोड़ की न्यास निधि का उपयोग जिले के विभिन्न प्री/पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय छात्रावासों में अग्निशामक यंत्र लगाने के लिए किया, जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 'पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण उपाय' क्षेत्र के तहत निर्धारित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते थे।

3.2.4 वस्तुओं की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का अनुपालन न करना

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2015 का अनुच्छेद 4 और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 का नियम 29 यह निर्धारित करता है कि न्यासों द्वारा कार्यों और वस्तुओं का क्रय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ऐसी क्रय के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की जानी चाहिए।

प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते समय, प्रबंधकारिणी समिति कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश देती है कि वे क्रय के लिए न्यास निधि का उपयोग करते समय छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करें।

छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 के उपनियम 4.3.3 के अनुसार, तीन लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं का क्रय खुली निविदाओं के माध्यम से की जानी चाहिए, जिसके लिए समाचार पत्रों में नोटिस (एनआईटी) प्रकाशित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 के उपनियम 4.1 में यह प्रावधान है कि निविदा आमंत्रित करने से पहले क्रय की जाने वाली वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशों को एक तकनीकी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

क्रय संबंधी मामलों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं:

(क) खुली निविदा आमंत्रित किए बिना वस्तुओं का अनियमित क्रय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित पांच[3] जिलों में कार्यान्वयन एजेंसियों[4] ने खुली निविदाएं आमंत्रित किए बिना सीमित कोटेशन के आधार पर ₹ 17.49 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की, जिससे छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ जैसा की **परिशिष्ट 3.5** में विस्तृत रूप से उल्लिखित है।

हालाँकि न्यासों ने कार्यान्वयन एजेंसियों को छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया और उन्हें इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया, लेकिन न्यासों ने

[3] बालोद, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर और कोरबा

[4] जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास), उप मंडल अधिकारी (लाइट मशीनरी, ट्यूब वेल और गेट डिवीजन), जनपद पंचायत

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य की प्रभावी निगरानी और जारी की गई स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

(ख) तकनीकी मानदंडों और विशिष्टताओं को निर्धारित किए बिना वस्तुओं का क्रय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो चयनित जिलों[5] में कार्यान्वयन एजेंसियों[6] ने निविदा आमंत्रण से पहले तकनीकी मानदंडों और विशिष्टताओं को निर्धारित किए बिना जैसा कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के उपनियम 4.1 के तहत आवश्यक है, ₹ 38.82 करोड़ रुपये की वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की, जैसा की **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत रूप से उल्लिखित है। क्रय की गई वस्तुएं बीआईएस प्रमाणन की शर्तों और गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक (आईएस) 17632:2022 के अनुपालन को पूरा नहीं करती थीं।

इसके अलावा, न्यासों द्वारा क्रय के लिए दी गई स्वीकृतियाँ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित थीं, जिनमें आवश्यक विवरणों जैसे कि क्रय की जाने वाली वस्तुओं की अनुमानित लागत का स्रोत या आधार, आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता/मानक, फर्नीचर, कंप्यूटर, जल शोधक आदि के लिए तकनीकी विशिष्टताओं का अभाव था।

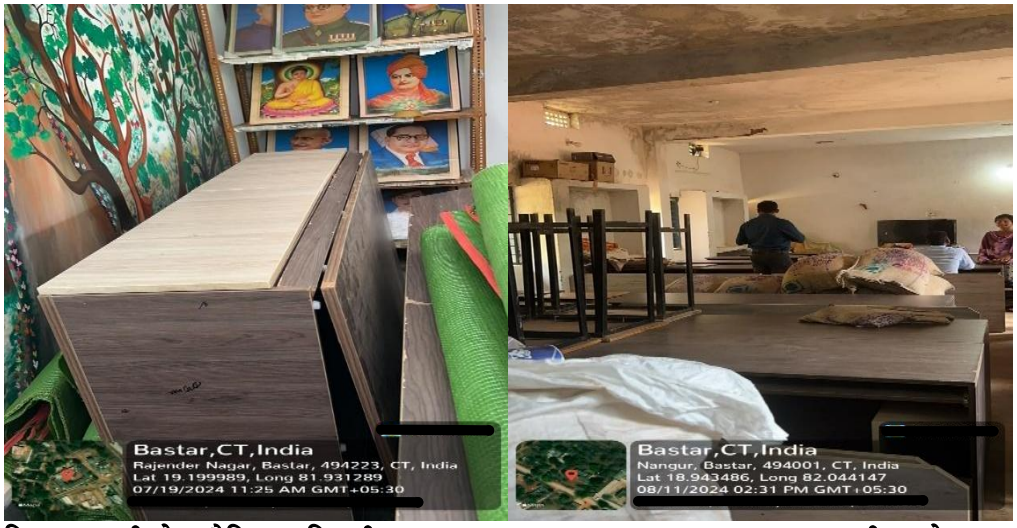

चित्र 3.10: प्री-पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, परचम्पाल, बस्तर; छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि फर्नीचर की आपूर्ति के कुछ ही समय के भीतर उसमें दीमक लग गई थी।

यह इंगित करता है कि न्यास ने अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत क्रय प्रस्तावों की जांच करने में उचित सावधानी नहीं बरती।

---

5 बस्तर और बिलासपुर

6 सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास; जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, बस्तर एवं प्राचार्य, आजीविका महाविद्यालय बिलासपुर

चित्र 3.11: बस्तर जिले के आदिवासी छात्रावासों में लगाए गए आरओ सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और छात्रावास अधीक्षक ने बताया कि आरओ शुद्धिकरण प्रणाली की कैंडल्स को स्थापना के बाद से साफ या सर्विस नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसी कार्यों के निष्पादन के लिए भंडार क्रय नियमों का पालन करने और संबंधित विभागों के मानदंडों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया था कि जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत स्वीकृत कार्यों के निष्पादन की निगरानी के लिए प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार है। वे इनके रखरखाव और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों की निगरानी के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

न्यास को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए।

3.2.5 शासी परिषद से अनुमोदन के बिना निधियों का उपयोग

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 (2) के अनुसार, शासी परिषद वार्षिक कार्य योजना जिसमें योजनाओं और परियोजनाओं की सूची और उसके अस्थायी प्रावधान शामिल होंगे को मंजूरी देगी, बशर्ते कि वार्षिक योजना से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर, योजना/परियोजना के लिए शासी परिषद से छह महीने के भीतर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बस्तर, कोंडागांव और सुकुमा में न्यासों ने शासी परिषद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना बस्तरनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर को ₹ 33.12 करोड़ की न्यास निधि प्रदान की।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत उत्तर में स्पष्ट रूप से शासी परिषद की मंजूरी नहीं लेने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया था।